

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
वकील वादी प्रकरण में न्यायालय की  
अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं एवं  
आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील  
वादी ने नोट-प्रेसन करने का निवेदन  
किया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेसन  
करने के आधार पर बाद स्वारिज  
किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल नुमा  
होकर बाद तकमील दायिमल होवे।

Note  
press

24/7/2024

  
जयचन्द अधिकारी  
कीर्तिलाल